प्रेस नोट–199 / 2026
दिनांक 10.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा झाँसी इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 10.04.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा झाँसी इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मीरजापुर इकाई द्वारा श्री अजय कुमार यादव निवासी ग्राम व पोस्ट खैरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर से जमीन के विभाजन व पैमाईश हेतु धारा 30(02) रा0सु0 प्रा0पत्र पर रिपोट् लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक पतिराम यादव के नेतृत्व में जम बुक सेन्टर विन्ध्य वासिनी कॉलोनी भरूहना से **राजस्व लेखपाल सतेन्द्र सिंह बघेल (सदर तहसील मीरजापुर)** पुत्र राजेन्द्र सिंह बघेल निवासी ग्राम गोरइया थाना कोठी जनपद सतना म0प्र0 **2-परमेश्वर कुमार (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र स्व0 लल्लू राम यादव निवासी बडी वारीपुर भरूहना थाना कोतवाली देहात मीरजापुर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन झाँसी इकाई द्वारा श्री वेदान्त अहिरवार निवासी ग्राम सयावरी थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी आदि से परीक्षा से पूर्व सी0बी0टी0 वेरीफिकेशन एवं प्रवेश पत्र जारी कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मऊरानीपुर जनपद झाँसी परिसर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कक्ष वर्कशाप से **इस्ट्रैक्टर श्रीमती रेनू वर्मा (इलेक्ट्रानिक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मऊरानीपुर झाँसी)** पत्नी दीपक वर्मा निवासी गुदडी बाजार थाना कोतवाली जनपद झाँसी को **06 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–200/2026
दिनांक 10.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 45 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 10.04.2026 को थाना विभूतिखण्ड व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखनऊ पब्लिक कॉलेज कठौता झील के पास से 05 अभियुक्तों 1–अतुल कुमार 2–विशाल 3–राहुल 4–आकाश 5–अमित कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 45 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों वाहन (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.04.2026 को थाना विभूतिखण्ड क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना विभूतिखण्ड पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल कुमार निवासी माढ़रमऊ कला थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

2–विशाल निवासी पिपराघाट दिलकुशा थाना कैन्ट कमिश्नरेट लखनऊ।

3–राहुल निवासी बादशाह खेड़ा तकरोही अमराई थाना इन्द्रानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

4–आकाश निवासी बादशाह खेड़ा तकरोही अमराई थाना इन्द्रानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

5–अमित कुमार निवासी तख्वा विराजखंड–5 थाना विभूतिखण्ड कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–लूट के 45 लाख रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 10.04.2026 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डूडा कॉलोनी मानसनगर रोड नियर आशाराम बापू आश्रम के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विपिन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी हरदी थाना मौरावां जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–पीली धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 10.04.2026 को थाना गंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरेली गेट से पनवडिया जाने वाली रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप निवासी पनवडिया भमरौआ रोड हाकी स्टेडियम के सामने न्यू शिव बिहार कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

जनपद बस्ती/थाना नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 98 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 10.04.2026 को थाना नगर व एण्टी थेफ्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाड़ी पुल के पास से अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 98 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अर्जुन निवासी मदनगिरी थाना डा0 अम्बेडकरनगर जनपद दक्षिण जनपद नई दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 98 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना सम्मनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना सम्मनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–राजकुमार 2–उमाशंकर 3–रामबल 4–विक्रम को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरी प्रसाद 2–बलिराम 3–रामलोटन को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––